

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा, जिला -  
भीलवाडा

**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... मोटा का खेडा व भूअभिलेख निरीक्षक ..... निताना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेडा तहसील करेडा व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 128, 142, 130 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	कुंवार	128 142 130	नंदा (नंगा) पुत्र गंगाराम सुर्ज	नन्द लाल उर्फ नंदा पुत्र गंगाराम सुर्ज

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला-भीलवाडा

क्रमांक:- न्यायालय /2021 / 10

दिनांक:- 30/11/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नन्द लाल उर्फ नंदा पुत्र गंगाराम सुर्ज

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला-भीलवाडा

